Indian Polity

FUNDAMENTAL RIGHTS

ARTICLE NO. (12-35)

KGS IAS

'**32A.** [Constitutional validity of State laws not to be considered in proceedings under article 32.1 - Omitted by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 3 (w.ef. 13-4-1978).

32क. राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना |] संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 3 द्वारा (13-4-1978 से) लोप किया गया ।

KGS IAS

33. Power of Parliament to modify the rights conferred by this Part in their application to Forces, etc. Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to,

(a) the members of the Armed Forces; or

(b) the members of the Forces charged with the maintenance of public order; or

(c) persons employed in any bureau or other organization established by the State for purposes of intelligence or counter intelligence; or

(d) person employed in, or in connection with, the telecommunication systems set up for the purposes of any Force, bureau or organization referred to in clauses (a) to (c), be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them.

33. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति – संसद्, विधि द्वारा, अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई-

(क) सशस्त्र बलों के सदस्यों को, या

(ख) लोक व्यवस्था बनाए रखने का भारसाधन करने वाले बलों के सदस्यों को, या

(ग) आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को, या

(घ) खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को, लागू होने में, किस विस्तार तक निर्बन्धित या निराकृत किया जाए जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे ।

KGS IAS

मूल अधिकार (F.R)

राज्य की सुरक्षा

Security of state

Art-34

- कश्मीर
- मणिपुर
- नागालैंड
- असम

नागरिकों (Citizens)

स्वतंत्रता (Liberty)

अनुशासन

Discipline

Art-33

- सेना — Army
- लोक व्यवस्था
  - IAS / IPS
- RAW, IB
- संचार प्रणाली

34. Restriction on rights conferred by this Part while martial law is

in force in any area. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a State or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered or other act done under martial law in such area.

34. जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन

इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में, जहां सेना विधि प्रवृत्त थी, व्यवस्था के बनाए रखने या पुनःस्थापन के संबंध में किया है या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड, आदिष्ट समपहरण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेंगी ।

KGS IAS

Art-34

मार्शल ला

(i) लोक व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन असफल

(ii) उपद्रवी गतिविधियाँ

(iii) गड़बड़ी क्षेत्र Disturbed Area

(iv) सेना/केन्द्रीय सैन्य बलों

(1) सेना/अर्धसैनिक बल

(ii) तलाशी, आवागमन प्रतिबन्धित

(iii) घर को उड़ा देंगे

(iv) गोली मारने

(v)

सेना के अधिकारियों को न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं माना जायेगा

संसदीय विधि – AFSPA 1958

Armed Forces Special Power Act

AFSPA

विरोधी

1. मूल के खिलाफ
2. मानव अधिकार
3. राज्य की हिंसा
4. पुलिस राज्य
5. विधि के शासन

समर्थन

1. कोर्ट मार्शल :
2. मानवीय सहायता
   स्कूल हास्पिटल
3. = सम्प्रभुता की रक्षा

निष्कर्ष

35.Legislation to give effect to the provisions of this Part. Notwithstanding anything in this Constitution

(a) Parliament shall have, and the Legislature of a State shall not have, power to make laws-

(i) with respect to any of the matters which under clause (3) of article 16, clause (3) of article 32, article 33 and article 34 may be provided for by law made by Parliament; and

(ii) for prescribing punishment for those acts which are declared to be offences under this part, and Parliament shall, as soon as may be after the commencement of this Constitution, make laws for prescribing punishment for the acts referred to in sub-clause (ii) ;

35. इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान इस संविधान में किसी बात, के होते

(क) संसद् को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधान-मंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह

(i) जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड (3), अनुच्छेद 32 के खंड (3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद् विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी उनमें से किसी के लिए, और

(ii) ऐसे कार्यों के लिए, जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए, विधि बनाए और संसद् इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए, जो उपखंड (ii) में निर्दिष्ट हैं, दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी ;

KGS IAS

(b) any law in force immediately before the commencement of this Constitution in the territory of India with respect to any of the matters referred to in sub-clause (1) of clause (a) or providing for punishment for any act referred to in sub-clause (ii) of that clause shall, subject to the terms thereof and to any adaptations and modifications that may be made therein under article 372, continue in force until altered or repealed or amended by Parliament.

(ख) खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्त विधि, जो भारत के राज्यक्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त थी, उसके निबंधनों के और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए गए किन्हीं अनुकूल और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक उसका संसद् द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है ।

KGS IAS